हरियाणा सरकार
पर्यटन विभाग ।
अधिसूचना

दिनांक : 12.07.2016

कमांक TM/AP-I/2016/2619 - **हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसके द्वारा सिंधु दर्शन यात्रा योजना 2016 को सूत्रित करते हैः–**

1	संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ होने की तिथि	1) यह स्कीम सिंधू दर्शन यात्रा स्कीम 2016 कहलाई जाएगी। 2) यह योजना 01 अप्रैल 2016 से लागू होगी तथा इस दिनांक के पश्चात यात्रा करने वाले आवेदकों को ही वित्तीय सहायता देय होगी।
2	योजना का उदेश्य	1) राज्य/भारत सरकार/संस्था के माध्यम से सिंधू दर्शन की सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न करने वाले हरियाणा के स्थाई निवासियों को 50 यात्रियों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 2) यात्रा पर वास्तव में खर्च हुई राशि का 50 प्रतिशत या 10,000 रूपये जो भी कम होगा की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
3	परिभाषाएं	1) 'प्रशासकीय सचिव' से अभिप्राय है प्रधान सचिव हरियाणा सरकार पर्यटन विभाग। 2) 'निदेशक' से अभिप्राय है महानिदेशक/ निदेशक पर्यटन विभाग हरियाणा। 3) 'पात्र तीर्थयात्री' से अभिप्राय है कि राज्य/भारत सरकार/संस्था द्वारा यात्रा पूर्ण करने वाले हरियाणा के स्थायी निवासी। 4) 'सरकार' से अभिप्राय है प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार। 5) 'संस्था' से अभिप्राय है संस्था पंजीयन अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था।
4	आवंटन की प्रक्रिया	1) राज्य/भारत सरकार/संस्था के माध्यम से सिंधु दर्शन यात्रा करने वाले श्रद्धालु यात्रा समाप्ति के दो माह के अन्दर अपना आवेदन महानिदेशक, पर्यटन विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। 2) निदेशक, पर्यटन विभाग, राज्य/भारत सरकार/संस्था के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों का मूल से मिलान कर सही पाने पर इस आशय का नोट अंकित करके 15 दिन के अन्दर मामले को अनुमति हेतू अग्रेषित करेंगे। 3) उपरोक्त अनुमति उपरान्त डिमांड ड्राफ्ट द्वारा वित्तीय सहायता जारी करने हेतू वांछित स्वीकृति जारी की जाएगी।
5	योजना की शर्ते/पात्रता	1) इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा।

		2) सिंधु दर्शन यात्रा राज्य/भारत सरकार/संस्था के माध्यम से की जानी होगी एंव यात्रा समाप्ति के पश्चात राज्य/भारत सरकार/संस्था द्वारा सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। 3) तीर्थयात्री को यह वित्तीय सहायता केवल एक बार ही दी जाएगी।
6	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	निर्धारित (अनुबंध 'ए') प्रपत्र में आवेदन महानिदेशक, पर्यटन विभाग को निम्न दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना वांछित होगाः– 1. हरियाणा के मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति। 2. राज्य/भारत सरकार/संस्था से यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति। 3. तीर्थयात्री की घोषणा, कि उसने इस यात्रा के लिए पहले कभी वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत नही किया है और न ही भविष्य में करेगा।
7	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी/कार्यालय जहां राशि आवंटित की जानी है।	निदेशक पर्यटन विभाग हरियाणा, एस.सी.ओ. 17–19, सैक्टर–17 बी, चण्डीगढ। फोनः– 0172.2702955–56 Email id : haryanatourism@gmail.com

डा0 सुमिता मिश्रा
प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
पर्यटन विभाग चण्डीगढ।

सिंधु दर्शन यात्रा 2016 के लिए वित्तीय सहायता हेतू आवेदन का प्रारूप

पर्यटन विभाग हरियाणा
चण्डीगढ।

आवेदक का फोटो

विषयः– सिंधु दर्शन_यात्रा हेतु सहायता अनुदान स्वीकृति के क्रम में।

1	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	जन्म दिनांक	
4	वर्तमान पता टेलीफोन सहित	
5	सिंधु दर्शन यात्रा की अवधि	
6	सिंधु दर्शन यात्रा पर हुआ खर्च (प्रमाण सहित)	
7	संलग्नक की सत्यापित प्रति i) हरियाणा के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ii) राज्य/भारत सरकार/संस्था से सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न करने का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। iii) तीर्थयात्री की घोषणा, कि उसने इस यात्रा के लिए पहले कभी वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत नही किया है और न ही भविष्य में करेगा।	

दिनांक .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

घोषणा

मै घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचना सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नही गई है। उल्लेखित विवरण में किसी भी तथ्य के मिथ्या प्रकट होने पर सहायता राशि विभाग में जमा कराने का उत्तरदायित्व मेरा होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी................ निवासी .... सत्यनिष्ठा के साथ प्रमाणित करता/करती हूं कि मैने कैलाश मानसरोवर यात्रा दिनांक .. .. से .... तक पूर्ण की है तथा इसके लिए मै प्रथम बार वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग हेतू

उपरोक्त कर्म संख्या 1 से 7 में दी गई सूचना तथा संलग्न दस्तावेजों का, राज्य/भारत सरकार/संस्था द्वारा भेजे गए मूल दस्तावेजों के साथ मिलान किया गया तथा सूचना सही पाई गई है।

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
पर्यटन विभाग हरियाणा।

घोषणा फार्म

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी................. निवासी .... प्रमाणित करता/करती हूं कि मैने सिंधु दर्शन यात्रा दिनांक .... से .... तक पूर्ण की है तथा इसके लिए मै प्रथम बार वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर